Shrimati Ramdulari Sinha: May I know whether rig machinery is also imported from outside countries and whether there is any proposal to manufacture rig machinery locally in view of the great demand for it due to the drought conditions prevailing in various parts of the country?

Shri D. Sanjivayya: It has nothing to do with this question.

Mr. Speaker: Yes. Mr. Siddhanti.

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : क्या सरकार को यह पता है कि बहुत से एक्स सोल्जर्स ने ट्रैक्टर लेने के लिये बरसों पहले दरख्वास्तें दी हुई हैं, विशेषकर हरियाणा राज्य के बहुत से फौजी जवानों ने, जो कि रिटायर हो चुके हैं, दरख्वास्तें दी हैं। लेकिन उनको अब तक ट्रैक्टर नहीं मिला है। क्या सरकार फौजी जवानों को ट्रैक्टर देने में प्राथमिकता देगी।

Shri D. Sanjivayya: We are only concerned with the manufacture of tractors. With regard to the allotment to various people like ex-servicemen, etc., that is the function of the Food and Agriculture Ministry in collaboration with State Governments.

Shri Vimla Deshmukh: Some demonstration in rice cultivation was held in Kashmir with the help of Japanese experts and they were using some special implements in the demonstration. Will the Government examine whether those implements will be useful to the small Indian farmers and if so, will Government try to manufacture those implements here and supply them to the farmers?

Shri D. Sanjivayya: There seems to be some misunderstanding with regard to small tractors. Probably hon. members means by that our tillers which are being produced in collaboration with Japan, one unit of which has already gone into production.

Mr. Speaker: Next question.

Sale of adulterated articles by Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

+

***633. Shri Madhu Limaye:**
Shri Kishen Pattnayak:
Dr. Ram Manohar Lohia:

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 539 on the 19th August, 1966 and state:

(a) whether the Manager of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, who was implicated in a charge of selling adulterated honey has since been dismissed|suspended|transferred|demoted|or punished in any other way; and

(b) whether it is a fact that these Bhandars sell adulterated articles. under quality goods, use old measures and weights and mislead the public by selling 25 match-sticks with a band-roll of 50 pasted to the match-box and also indulge in similar other activities?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) As stated in answer to Unstarred Question No. 2260 on the 12th August, 1966, the prosecution of the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi launched by the New Delhi Municipal Committee under the Prevention of Food Adulteration Act is pending in a Court of Law. The question of punishment to be awarded to the Manager of the Bhavan or any other persons found responsible for any breach can appropriately be considered only in the light of the Court's judgement after it has been pronounced.

(b) No case of sale of adulterated articles or under quality goods in any Bhandar run by the Khadi and Village Industries Commission has come to notice except the allegation of sale of sub-standard honey in the Khadi

Gramodyog Bhavan, New Delhi which is pending before a Court of Law.

The Khadi and Village Industries Commission has categorically issued instructions to all Bhandars that old weights and measures should no longer be used for any purpose.

As clarified in the statements made by me in this House on the 23rd August, 1966 and the 3rd September, 1966, the sale of these match boxes with the excise bandroll showing '50 matches' has been totally stopped. The Commission is having under consideration proposals for using other types of excise bandrolls as may be permitted by the Central Board of Excise and Customs.

श्री मधु लिमये: माननीय मन्त्री ने अभी जो बयान सदन के पटल पर रक्खा है उस में उन्होंने भाग (क) के उत्तर में निम्न प्रकार से कहा है :

> "The question of punishment to be awarded to the Manager of the Bhavan or any other persons found responsible for any breach can appropriately be considered only in the light of the Court's judgment after it has been pronounced."

जब कभी इस किस्म के आरोप लगाये जाते हैं तो हमेशा सरकारी महकमों की यह प्रथा है कि पहले विभागीय तौर पर, सरकारी तौर पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाती है, उसको निलम्बित किया जाता है या छुट्टी पर भेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी अदालत से बरी होता है लेकिन फिर भी सरकारी तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस सदन के सामने मन्त्री महोदय ने वादा किया था कि सजा के तौर पर कम से कम उस मैनेजर को छुट्टी पर भेजा जायेगा। अब मुझे पता चला है कि खादी कमीशन के चेयरमैन ढेबर भाई के हस्तक्षेप के ऊपर उनको छुटी पर भी नहीं भेजा गया सजा के तौर पर मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सदन के सामने जब वह आश्वासन देते हैं तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं करते हैं। इसमें क्या दिक्कतें हैं।

श्री मनुभाई शाह : पहली बात तो कि यह गलत ही कैसे किसी निर्दोष आदमी को मैं यहां दोषी ठहरा दूं जब तक कि उस का केस कोर्ट में पड़ा है। मैंने जो कहा था वह यह कि चूंकि तहकीकात करनी है इस लिये उस की गैरहाजिरी से फायदा होगा। इस लिये उसे एक महीने की छुट्टी पर भेज दिया गया था। महीने के अन्दर जो तहकीकात डिपार्टमेन्ट को करनी थी वह हो गई और कमिशन से रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। अब सारा मामला कोर्ट के सामने है। कोर्ट उस को दोषी ठहरायेगी या नहीं इस को मैं ऐन्टीसिपेट नहीं कर सकता हूं। यह ठीक है कि अगर कोर्ट कोई फैसला दे जिस में उस पर दोष लगाया जाये तब डिपार्टमैन्टल ऐक्सन लेने का मौका आयेगा। लेकिन जब तक कोर्ट का जजमैंट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कर सकते।

श्री मधु लिमये : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मंत्री महोदय ने कहा कि उन की गैरहाजिरी जांच के लिये अच्छी होगी। लेकिन अदालत के सामने मैनेजर साहब ने यह बयान दिया है कि :—

> "It is wrong to say that I have been asked to go on compulsory leave."

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, के जवाब में मैनेजर के बारे में सफाई आनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैनेजर के बारे में जो बयान उस ने वहां दिया है उस को हम यहां नहीं ले सकते।

श्री मधु लिमये : डिपार्टमेंन्ट ऐक्सन उस के ऊपर लिया जा सकता है । आप छोटे कर्मचारियों पर ऐक्सन लेते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप इन्फार्मेशन मांग सकते हैं । उन्होने कहा कि जब तहकीकात करनी थी तब एक महीने के लिये उन्होने उस को छुट्टी पर भेजा । तहकीकात हो गई और अब वह अदालत के सामने हैं ।

श्री मधु लिमये : यह गलत बोल रहे हैं । उस छुट्टी पर नहीं भेजा ।

अध्यक्ष महोदय : इस की दुरुस्ती के लिये अलाहदा तरीका है ।

श्री मधु लिमये : अब कहां समय है । यह गलतबयानी करते जाये, और हम कुछ कर नहीं सकते । यह टाल मटोल की नीति है । हमारी लोक सभा का मजाक बन रहा है ।

अब मेरा दूसरा प्रश्न है । मेरे एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में भागलपुर एम्पोरियम के बारे में जिस में मैं ने यह जानकारी चाही थी कि क्या पुराने बांट, माप और वजन के इस्तेमाल को ले कर कोई तलाशी हुई थी, मंत्री महोदय ने पिछले सत्र में जवाब दिया था कि वहां यह माप, बांट और वजन इस लिये रक्खे जाते थे कि जो अनाड़ी ग्राहक हैं, "अनसोफिस्टिकेटेड कस्टमर्स" उन को उस के बारे में पढ़ाया जाये । यह बिलकुल बेमतलब और वाहियात जवाब था ।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर आर्डर । आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह का जवाब कैसे आता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्त कमेण्टस के लिये नहीं है ।

श्री मधु लिमये : अगर किसी दूकानदार के पास यह मिलते तो उसको सजा हो जाती मैं जानना चाहता हूं कि . . .

अध्यक्ष महोदय : आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं कमेन्ट्स दे रहे हैं और इन्फरेंस निकाल रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : मैं सवाल पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री मधु लिमये : उन्होंने कहा कि हमने इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू कर दिये हैं कि पुराने मापों का इस्तेमाल न हो । मेरा सवाल यह है कि इस तरह के बांटों, वजनों और मापों को इस्तेमाल करने वाले भागलपुर एम्पोरियम के मैनेजर को उन्होंने कौनसी सजा या दण्ड दिया है वह केवल इंस्ट्रक्शन्स दे रहे हैं ।

Mr. Speaker: That does not arise here. This is about Delhi.

श्री मधु लिमये : माफ कीजिये । यही तो होता है । पता नहीं आप मेरे साथ क्यों एसा व्यवहार करते हैं । पूरा प्रश्न आप देख लीजिये "क्या यह सच है कि यह भंडार मिलावटी चीजें, घटिया किस्म की चीजें बेचता है और पुराने बांट तथा माप इस्तेमाल करता है ।" इसके जवाब में वह कहते हैं कि विलेज इंडस्ट्रीज . . .

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिये ।

श्री मधु लिमये : पहले तो आप ने मुझे बिठला दिया । अब आप पढ़ने नहीं देते । उनका एक ही वाक्य है :

> "Khadi and Village Industries Commission has categorically issued instructions to all bhandars that old weights and measures should no longer be used for any purpose."

लेकिन जिन्होंने इस्तेमाल किया है उनको क्या दण्ड दिया गया है । यह बिल्कुल जायज प्रश्न है ।

Shri Manubhai Sahah: The whole point is, regarding the new metric system we have been giving time to all the people and we have been saying that in order to familiarise the customers with new types of weights and measures they should be given a phased programme of introduction. That was being done. The hon. Member at that time raised the question that old weights should not be kept because it would confuse the customers. Therefore, the Khadi and Village Industries Commission issued instructions that those old weights kept as samples should be enforced. That is the circular I have mentioned.

श्री मधु लिमये : यह क्या जवाब है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दरख्वास्त करनी है मेम्बर साहब से और मिनिस्टर साहब से कि दोनों साहबान ने मेरे देखने के लिये मैच बाक्स भेजी थी। वह यहां पड़ी हुई है वह अपनी अपनी मैच बाक्स आ कर ले लें।

श्री मधु लिमये : यह आप उनको ही दे दें। (**व्यवधान**) उनके देखने का मामला है। भले ही हमने उस पर पैसा खर्च किया हो।

अध्यक्ष महोदय : जो आपने दिया वह आप खुद ले लें और जो उन्होंने दिया वह खुद उस को ले लें।

श्री किशन पटनायक : वह पचास मैच बाक्स के लेबल की डब्बी में 25 दियासलाई रख कर बेचते हैं। उस के बारे में यह जवाब दिया जाता है कि :

"The sale of these match boxes with the excise banderol showing '50 matches' has been totally stopped."

यानी यह काम होता था और सब लोग ले गये। मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह काम किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

श्री मनुभाई शाह : कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। सारे देश में 50 मैचेज के जनरल बैंड लेबेल के नीचे सेंट्रल बोर्ड आफ एक्साइज और रेवेन्यू की इजाजत से लोग इस्तेमाल करते हैं। चूंकि माननीय सदस्य . . .

श्री मधु लिमये : पचास के डब्बी में 25 रहती हैं।

श्री मनुभाई शाह: 25, 10, 20 सब उसी में बिकती हैं। जब माननीय सदस्य ने सवाल उठाया तब हम लोगों ने कहा कि अगर आप फील करते हैं इतना तब आप सेंट्रल बोर्ड आफ एक्साइज से बात करें। उस दिन आप की इजाजत से इसे बन्द करवाया। जो नई बात हो रही है वह भी मैंने बतलाया।

श्री म० ला० द्विवेदी: खादी ग्रामोद्योग भवन में शहद के बदले में जो चीनी बेची जाती थी उसके बारे में सरकार ने जांच की है यदि हां तो क्या पता चला है कि उसमें कितने प्रतिशत चीनी होती थी और कितने प्रतिशत शहद होता था ?

श्री मनुभाई शाह: केस कोर्ट आफ ला के पास पड़ा हुआ है. . .

श्री म० ला० द्विवेदी: कितने प्रतिशत शहद होता था. . .

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट के सामने है तो वह क्या बतायें।

श्री म० ला० द्विवेदी: कोर्ट के सामने मुकदमा दूसरी चीज का है।

अध्यक्ष महोदय : हनी का भी उनके सामने है।

श्री म० ला० द्विवेदी : कोर्ट से यह बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखता है।

अध्यक्ष महोदय : हनी का वह कहते है कोर्ट में है।

Shri S. M. Banerjee: From the statement it appears that no case of sale of adulterated article or underquality of goods in any Bhandar of the Khadi and Village Industries Commission has come to the notice of Government except the allegation of sale

of sub-standard honey in the Gram Udyog Bhavan. I would like to know whether it is a fact that after this has been detected a case is going on in the court against the person concerned. Since the sale of adulterated honey has affected the good name of the *Khadi Gram Udyog Bhavan*, will the hon. Minister kindly consider the question of removal or at least transfer, of the Manager of this particular Gram Udyog Bhavan who is responsible for victimising many empolyees, even for minor offences or no offences at all, just to keep up the good name of the Gram Udyog Bhavan?

Mr. Speaker: It may be considered by the Minister.

Shri Nambair: That is no answer.

Mr. Speaker: He has not asked any question. He has given some information and asked the Minister to consider them.

श्री काशी राम गुप्त : क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि इस प्रकार का शहद इन भंडारों में सारे देश में बिकता है यदि है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसकी भी जांच करवाई गई है और यह पता लगाया गया है कि किस तरह से यह इन भंडारों में आता है, केवल चीनी जिसमें होती है या मिलावट जिसमें होती है वह शहद आता है ? इन भंडारों में किस जगह से यह आता है और क्या कोई ऐसा तरीका अपनाया गया है कि इस तरह का शहद न आये ? अब उसको बन्द करने के कोई उपाय किये गये हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह म्यूनिसिपल हेल्थ का सवाल है । मैंने बताया है कि न सदन का और न मेरी मिनिस्टरी का इससे कोई सम्बन्ध है । कोई भी दूकानदार जिसके यहां एडल्ट्रेटिड माल होता है उसको हैल्थ इंस्पैक्टर पकड़ता है और उस पर केस चलता है । फिर आप यह भी देखें कि उनका कहना था कि नेचुरल शूगर के अन्दर 43 परसेंट सूकरोज निकलता है पचास नहीं निकलता है । फिर भी यह कहा गया कि केस चलाया जाये । अब केस का जो नतीजा आयेगा, उस पर हम विचार करेंगे ।

श्री काशी राम गुप्त : क्या सरकार ने इन भंडारों में जांच की है कि कहां से यह शहद आता है ?

श्री मधु लिमये : स्रोत कौन सा है ?

श्री मनुभाई शाह : कई जगह से खरीदते होंगे । फेहरिस्त यहां नहीं रखी जाती है ।

UNCTAD

*634 **Dr. L. M. Singhvi:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the progress made in the implementation of the objectives and the recommendations of UNCTAD;

(b) whether Government have noticed and studied the significant decline in the share of developing countries in total world export of primary commodities; and

(c) whether it is a fact that the developed countries have, on the whole, been unwilling to discharge their obligations as outlined by UNCTAD at Geneva?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) Yes, Sir. The progess in the implementation of the objectives and recommendations of UNCTAD is being constantly reviewed by the Government.

(b) The report presented to the 4th Session of the Trade and Development Board, by the Secretary-General UNCTAD on the 'implementation' has revealed that the share of the developing countries in total world export of primary commodities has dropped from 44 per cent in 1953—55 to less than 40 per cent in 1963-64. This decline is attributable to the increasing threat posed by substitutes to the commodities exported mainly